



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.189]

नई दिल्ली, बुधवार मार्च 13, 2019/फाल्गुन 22, 1940

No.189]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2019/PHALGUNA 22, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

सा.का.नि. 216(अ).— स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 706(अ), के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 22 मार्च, 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करती है।

- (i) माननीय न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी, अध्यक्ष
- (ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री बी. कामेस्वर राव, सदस्य
- (iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला, सदस्य

[फा. सं. यू.11016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

ओम प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पणी :—दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 706 (अ), भारत के राजपत्र (असाधारण)

भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड-(i) में दिनांक 26 जुलाई, 2018 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**New Delhi, the 13th March, 2019

G.S.R. 216(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. GSR. 706(E), dated 26th July, 2018 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period upto 22nd March, 2020.

- (i) Hon'ble Mr. Justice Vipin Sanghi, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice V. Kameswar Rao, Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice Navin Chawla, Member

[F.No.U.11016/01/2011-PITNDPS]
OM PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote:—The Notification G.S.R.706(E) dated 26th July, 2018 was published in the Gazette of India(Extraordinary) Part II,Section 3, Sub-Section-(i) on 26th July, 2018.